

पुस्तकालय

3298
17/4/13 (2)



असंशोधित

3 APR 2013

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

पंचदश विधान सभा

बुधवार, तिथि ०३ अप्रील, २०१३ ई०

अष्टम् सत्र

१३ चैत्र, १९३५ (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - ११.०० बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।
अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

व्यवधान

अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाई वीरेन्द्र जी, आपकी कोई बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगी । कोई भी बात प्रश्नोत्तरकाल के बाद ही न उठाईयेगा ? अभी आपकी कोई भी बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगी ।

व्यवधान

अध्यक्ष : आसन आपलोगों से आग्रह करता है कि आपलोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाय ।

व्यवधान

अध्यक्ष : इस तरह से कोई बात न तो प्रोसिडिंग्स में जायेगी, न प्रिंट मीडिया में जायेगी और न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जायेगी ।

(इस अवसर पर आर०जे०डी० के माननीय सदस्यगण सहित विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्य वेल में आ गये एवं नारा लगाने लगे)

व्यवधान

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाय । इस तरह से कोई बात न तो प्रोसिडिंग्स में जायेगी, न प्रिंट मीडिया में जायेगी और न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जायेगी ।

व्यवधान

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पुनः आपलोगों से आग्रह करता हूं कि आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाय ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, नेता, विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन दिया गया है। आज सरकार का कोई वित्तीय कार्य भी नहीं है। पूरे राज्य में चर्चा है कि विधान सभा जो राशि देती है, उसका सरकार सदुपयोग नहीं कर रही है और किस तरह से गबन, चोरी, दुर्विनियोजन और कपटपूर्ण निकासी हुई है और उसका महालेखाकार के रिपोर्ट में चर्चा है। इसलिए कार्य स्थगन मंजूर किया जाय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन कार्य संचालन नियमावली से बंधा है। इस तरह की आपकी कोई बात आसन प्रश्नोत्तरकाल के बाद ही सुनेगा।

व्यवधान

अध्यक्ष : 'वेल' में कही गयी कोई भी बात न तो प्रोसिडिंग्स में जायेगी, न प्रिंट मीडिया में जायेगी और न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही को देखने के लिए बच्चे भी आये हुए हैं। सदन की कार्यवाही को देखने के लिए बच्चे जिले से आये हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी(नेता विरोधी दल): महोदय, बच्चे यह भी देख रहे हैं कि चोरी गबन के मामले में सरकार गंभीर नहीं है, बच्चे यह भी देख रहे हैं कि इतना दवाब के बाद भी कोई सरकार पर असर नहीं है। बच्चे ये भी देख रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी(मंत्री): महोदय, पहली बात यह है कि आप नेता प्रतिपक्ष जब बोलने लगते हैं तो बिना हाउस आर्डर में आये बोल देते हैं। आप बोलते हैं तो इनको तो कम से कम बैठा दीजिये, सब बैठे हुए हैं इनको तो बैठाईए, आप इनको तो बैठाईए। आप जब बोलते हैं इनको तो बैठाईए। दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय कि ए0सी0डी0सी0 बिल पर हाउस में फुल डिबेट हो चुका है, पूरी बहस हो चुकी है, ये लोग इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक गये हैं, हाई कोर्ट ने भी इस मामले को देखा है और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि ए0सी0डी0सी0 बिल का एडजस्टमेंट कोई घोटाला गबन नहीं है। यह प्रक्रियात्मक बात है तो ये लोग एक फ्यूज बल्ब लेकर के, वह बल्ब पहले से फ्यूज है उससे रोशनी निकालना चाह रहे हैं जबर्दस्ती कर इसलिए और अपने बोलने लगते हैं तो सब को शांत करा देते हैं और अब आप बोलिया तो दूसरे हल्ला करेंगे और आप जब बोलते हैं तो इनको तो बैठा दीजिये, आप जब बोल रहे हैं तो इनको बैठा दीजिये और महोदय, ये जब बोलते हैं तो ये चूप हो जाते हैं ये तो कोई तरीका नहीं है, जो नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं हाउस आर्डर में आये बोलते हैं....

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव(मंत्री): महोदय..

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी(नेता विरोधी दल)जब हम खड़े हैं तो आप बैठिये।

(व्यवधान)

(सदन के वेल में पूर्व से नारेवाजी जारी)

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल को शुरू करा दीजिए न ! सदन पूछेंगे, हमलोग, सरकार तैयार है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सब लोगों से आसन पुनः आग्रह करता है कि आप अपने-अपने स्थान पर जाएं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वेल से बिना अनुमति से कही गई कोई भी बात न तो प्रोसिडिंग्स में जाएगी, न प्रिंट मिडिया में, न इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में जाएगी ।

अब अल्प-सूचित प्रश्न । माननीय सदस्य श्री राजेश्वर राज ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता,विरोधी दल: महोदय, महोदय, जब हाउस डिसऑर्डर है, तो कैसे होगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेश्वर राज । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

(व्यवधान जारी)

प्रश्नोत्तर काल

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या: 49 (श्री राजेश्वर राज)

डॉ० भीम सिंह,मंत्री: महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि उक्त योजना में 2.278 कि०मी० में कालीकरण एवं 0.443 कि०मी० में पी.सी.सी. कार्य कराने का प्रावधान किया गया, जिसके लिए वर्ष 2009-10 में एकरारनामा किया गया है । 2.20 कि०मी० में कालीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष भाग में कार्य प्रगति पर है जिसे मई 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है । दिनांक 14.08.2009 तक किसी राशि की न तो निकासी की गई है और नहीं भुगतान ही किया गया है, बल्कि कार्य की प्रगति के आधार पर दिनांक 20.06.2010 को 5.23039 लाख रूपया, दिनांक-02.12.2010 को 2.21809 लाख रूपया, दिनांक 18.06.2012 को 23.37938 लाख रूपया तथा दिनांक-21.12.2012 को 5.54210 लाख रूपया, अर्थात् कुल राशि 36.36996 लाख रूपया का भुगतान किया गया है ।

बिना कार्य के कोई राशि की निकासी नहीं हुई है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता,विरोधी दल: सदन की कार्यवाही हाउस के डिसऑर्डर में नहीं चल सकती है । हाउस को पहले ऑर्डर में लाइये । डिसऑर्डर में हाउस मत चलाइये ।

(व्यवधान जारी)

श्री राजेश्वर राज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, उसको चुनौती देता हूँ । कार्य ही प्रारम्भ नहीं हुआ उक्त पथ में । जो वर्णित पथ है, जिसका हमने जिक्र किया है, कार्य ही प्रारम्भ नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय ।

माननीय मंत्री जी ने पिछले बार सदन में खुद आश्वासन दिया था अध्यक्ष महोदय जिसकी कॉपी भी है, (व्यवधान) 22.02.2012 को । हमारा सवाल था सदन में तारांकित प्रश्न के माध्यम से । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था अपने उत्तर के जवाब में और लिखा है कि वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ पी.एम.जी.एस.वाई. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित